रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.जेड.-अ.-18122023-250725 CG-MZ-E-18122023-250725

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 835] No. 835] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2023/अग्रहायण 24, 1945

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2023/AGRAHAYANA 24, 1945

## रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेस

## अधिसूचना

आइज़ोल, 3 नवम्बर, 2023

क्रमांक A.12018/2/2023-Estt/RIPANS/192.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या यू.12012/57/2022-एनई-पार्ट(7) दिनांक 03.10.2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइजोल में प्रशासनिक अधिकारी के पद की भर्ती की विधि में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात-

- 1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन :-
- 1.1. इन विनियमों को ग्रुप 'ए' गैर संकाय पद प्रशासनिक अधिकारी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल, मिजोरम, 2023 के भर्ती नियम कहा जाएगा
- 1.2. यह विनियम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पे-मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर:-

पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़े पे-मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची I में निहित संबंधित पदों में निर्दिष्ट होगा। ग्रुप 'ए' के रूप में पदों का वर्गीकरण केंद्र सरकार के वेतन स्तर में समान श्रेणियों के अनुरूप होगा।

7772 GI/2023 (1)

## 3. भर्ती मानदंड:-

- 3.1 सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। संबंधित पद के लिए आवश्यक आरआईपीएएनएस के संबंध में गैर संकाय के हित के संबंधित क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता के लिए निर्दिष्ट अनुशासन, पदों के विज्ञापित होने से पहले अनुसूची I में दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और नियामक निकायों की शैक्षिक योग्यता, यथास्थिति, केवल स्वीकार किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 3.2 सभी पदों के लिए आवश्यक अनुभव अनुसूची I में निर्दिष्ट अनुसार होगा। पद के लिए अपेक्षित अनुभव निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- 3.3 भर्ती अनुसूची । में निर्धारित अनुसार की जाएगी। जब भी पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो पदों का विज्ञापन आरआईपीएएनएस की वेबसाइट और समाचार पत्रों में ऐसे उचित तरीकों से किया जाएगा जो संस्थान प्राधिकरण उचित समझे। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, निदेशक एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थियों का चयन करेगी।
- 3.4 सीधी भर्ती के मामले में, पद के लिए नौकरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के लिए विशिष्ट अंक देकर चयन पारदर्शी होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति सभी पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, जैसा आवश्यक हो, आयोजित करेगी।
- 3.5 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध पर भरा जा सकता है।

## 4. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा:-

- 4.1 प्रत्येक श्रेणी के पद में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों आदि के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार छूट दी जाएगी।
  - जब तक भर्ती नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, केंद्र/राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकारों के स्वायत्त संस्थानों में सेवारत कर्मियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट की अनुमति होगी।
- 4.2 आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

### 5. भर्ती की विधि:

- 5.1 उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
- 5.2 सीधी भर्ती के मामले में, चयनित अभ्यर्थी, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रारंभ में अनुसूची l में निर्दिष्ट न्यूनतम अविध के लिए परिवीक्षा पर होंगे। परिवीक्षा अविध के अंत में, अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन संस्थान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि परिवीक्षा अविध के दौरान अभ्यर्थी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है या अन्यथा। यदि उसका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा अविध पूर्ण होने पर उसकी नियमित नियुक्ति की पृष्टि की जायेगी।
- 5.3 अनुसूची । में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के अधीन, अन्य केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अविध तीन वर्ष की अविध के लिए होगी जिसे निदेशक द्वारा ऋण देने वाले विभाग की सहमति से सेवा की अत्यावश्यकता में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

### 6. अयोग्यता:-

कोई भी व्यक्ति :

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;

बशर्ते कि आरआईपीएएनएस, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

## 7. व्याख्या:-

जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, मामला नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

## 8. छूट देने की शक्ति :-

जहां आरआईपीएएनएस की विधिवत गठित चयन समिति की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से हो सकता है, अनुसूची I में उल्लिखित किसी भी वर्ग या श्रेणी के पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छुट दें। यह निय्कित प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा।

## 9. व्यावृत्ति : -

इन नियमों में कुछ भी आरक्षण, आयु सीमा में छूट और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा। पहले भरे गए पद इन भर्ती नियमों से प्रभावित नहीं होंगे, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जा रहा है। विभिन्न पदों से संबंधित नौकरी का विवरण आरआईपीएएनएस द्वारा कार्यालय आदेश के रूप में अलग से जारी किया जाएगा।

# प्रशासनिक अधिकारी हेतु भर्ती नियम, आरआईपीएएनएस, आइज़ोल

1	पद का नाम	प्रशासनिक अधिकारी
2	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3	वर्गीकरण	ग्रुप 'ए'
4	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 10
5	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	लागू नहीं
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
10	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	समग्र विधि द्वारा: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/पदोन्नति
11	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	प्रितिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध (एलएसटीसी)/पदोन्नित सहित: केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्वायत्त संगठन/वैधानिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:  अ.  1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या  2. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 08 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 04 वर्ष की सेवा के साथ या

		3. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 07 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की
		सेवा के साथ और
		आ.
		1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
		2. पे मैट्रिक्स के लेवल 7 या समकक्ष में पांच साल की नियमित सेवा के
		साथ
		3. किसी अस्पताल/चिकित्सा संस्थान में स्थापना और प्रशासनिक कार्य में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव
		टिप्पणी:
		प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं
		होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु
		सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं
		होगी।
		यदि 05 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 7 में
		विभागीय उम्मीदवार (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) को पद पर
		नियुक्ति के लिए चुना जाता है; इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना
		जाएगा।
12	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/समिति/चयन	1. संयुक्त सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार
	समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	कल्याण मंत्रालय या उसके प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न न हो –
		अध्यक्ष
		2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
		मंत्रालय – सदस्य
		3. उप सचिव, डीपी&एआर, मिज़ोरम सरकार– सदस्य
		4. संबंधित विषय में एक सहयोजित विशेषज्ञ - *सदस्य
		5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला
		एक सहयोजित सदस्य – सदस्य*
		6. निदेशक, आरआईपीएएनएस – सदस्य सचिव, आरआईपीएएनएस
		(*निदेशक, आरआईपीएएनएस द्वारा नामित किया जाना है)
13	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा	लागू नहीं
	आयोग से परामर्श किया जाना है।	

डा संजय दीनकर सावंत, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./616/2023-24]

# REGIONAL INSTITUTE OF PARAMEDICAL AND NURSING SCIENCES NOTIFICATION

Aizawl, the 3rd November, 2023

**No. A.12018/2/2023-Estt/RIPANS/192.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and as approved by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India vide Letter F.No.U.12012/57/2022-NE -Part (7) dated 03.10.2023, the President hereby makes the following amendment of the method of recruitment of the post of Administrative Officer in Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, an Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, namely:-

## 1. Short Title and commencement: -

1.1. These rules may be called the Recruitment Rules of Group 'A' Non - Faculty Post (Administrative Officer), Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, 2023.

1.2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. The number of posts, classification and level in the Pay Matrix: -

The number of the said posts, their classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Schedule I. The classification of posts as Group 'A' will correspond to similar categories in the Pay Level of Central Government.

### 3. Recruitment Norms: -

- 3.1 The minimum educational qualification for all the posts shall be as specified in Schedule I. The specified discipline for educational qualification in related areas of interest of the faculty in respect of RIPANS, required for the post concerned, will be as given in Schedule I, before the posts are advertised. Educational qualifications of recognized University and regulating Statutory Bodies, as the case may be, will only be accepted. In case of any doubt regarding educational qualification, the decision of Appointing Authority will be final and binding.
- 3.2 The experience required for all the posts shall as specified in Schedule I. The crucial date for determining the experience required for the post shall be the closing date for receipt of application from candidates.
- 3.3 Recruitment shall be made by promotion/deputation/direct recruitment as the case may be, as prescribed in Schedule I. Whenever the posts are to be filled up by deputation/direct recruitment, the posts shall be advertised in the website of RIPANS and newspapers by such appropriate methods as the Institute authority deems fit. In case of receipt of large number of applications, the Director may constitute a Screening Committee, which will short-list the candidates.
- 3.4 In case of direct recruitment, the selection shall be transparent by giving specific marks for various parameters decided by the Selection Committee, keeping in view the job requirement for the post. The Selection Committee as constituted by competent authority will hold interviews of the all-eligible candidates, as may be required.
- 3.5 Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances, for duration of one year or more, can be filled on deputation/short term contract.

## 4. Age limit for direct recruitments: -

4.1 The upper age limit for direct recruitment in each category of post shall be as specified in Schedule I. The upper age limit in respect of Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and the other special categories of persons etc, shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Unless otherwise specified in the Recruitment Rules, age relaxation of 5 years will be allowed for personnel serving in Central/State Government and Autonomous Institutions of Central & State Governments.

4.2 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates.

## 5. Method of Recruitment:

- 5.1 The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in column 5 to 13 of the said schedule.
- 5.2 In case of direct recruitment, the selected candidates, from the date of assuming the duties will be on probation initially for a minimum period as specified in Schedule I. At the end of probation period, the candidate's performance will be assessed by the Institute authority to decide if the candidate's performance during the probation period has been satisfactory or otherwise. If his/her performance is found to be satisfactory, he/she will be confirmed for regular appointment on completion of probation.
- 5.3 Subject to the candidate having minimum qualification and experience as specified in Schedule I, candidates from other Central Government/State Government can be taken on deputation basis. The period of deputation shall be for a period of three years which may be extended by the Director up to five years in the exigencies of service taking the consent of the lending department.

#### 6. Disqualification: -

No person:

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered in or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that RIPANS may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

### 7. Interpretation: -

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to Appointing Authority whose decision shall be final.

#### 8. Power to relax: -

Where the duly constituted Selection Committee of RIPANS is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts mentioned in Schedule I. This will be subject to acceptance of the Appointing Authority.

#### 9. Saving: -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. The posts filled earlier will not be affected by these Recruitment Rules, which are being notified now. The job descriptions pertaining to various posts would be issued separately by RIPANS as an Office Order.

Recruitment Rules for Administrative Officer in RIPANS, Aizawl

1	Name of Post	Administrative Officer  Administrative Officer
2	Number of post	01* (2023)* Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Group 'A'
4	Level in the Pay Matrix	Level - 10 of Pay Matrix
5	Whether Selection post or non selection	Not applicable
	post.	
6	Age limit for direct recruits	Not applicable
7	Educational and other qualifications	Not applicable
	required for direct recruits	
8	Whether age and educational qualifications	Not applicable
	prescribed for direct recruits will apply in	
	case of promotees.	
9	Period of probation, if any	Two years for promotees
10	Method of recruitment whether by direct	By Composite Method:
	recruitment or by promotion or by	Deputation (including short term contract)/Promotion
	deputation/absorption and percentage of	
1.1	vacancies to be filled by various methods  In case of recruitment by	Description (bulletter Chart Trees Control
11	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	Deputation (Including Short Term Contract (ISTC)/Promotion: Officers of the Central Government/   State Governments/ Union Territories/ Autonomous     Organizations/ Statutory bodies/ Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research Institution:
		<b>A.</b>
		1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or
		2. with 04 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 08 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department or
		3. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 07 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department and
		В.
		i. Graduate from a recognized University

		ii. With five years regular service in Level 7 of Pay Matrix or equivalent
		iii. At least five years' experience in establishment and administrative work preferably in a hospital/medical institution
		Note:
		The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.
		If the Departmental Candidate (Assistant Administrative Officer) in Level – 7 of Pay Matrix with 05 years' of regular service is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.
12	If a Departmental Promotion/ Committee/Selection Committee exists	1. Jt. Secretary (NE), Min. of H&FW, GOI or his representative not below the rank of Director - Chairman
	what is its composition	2. Dy. Secretary (NE) to GOI, MoH &FW - Member
		3. Dy. Secretary, DP &AR, Govt. of Mizoram - Member
		4. One expert in the subject concerned - Member*
		5. One co-opted member representing SC/ST - Member*
		6. Director, RIPANS- Member Secretary, RIPANS
		(*To be nominated by Director, RIPANS)
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable

Dr. SANJAY DINKAR SAWANT, Director [ADVT.-III/4/Exty./616/2023-24]

## अधिसूचना

आइज़ोल, 3 नवम्बर, 2023

क्रमांक A.12018/2/2023-Estt/RIPANS/193.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या यू.12012/57/2022-एनई-पार्ट(7) दिनांक 03.10.2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइजोल में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद की भर्ती की विधि में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्-

## 1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन :-

- 1.1. इन विनियमों को ग्रुप 'बी' गैर संकाय पद (सहायक प्रशासनिक अधिकारी), रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल, मिजोरम, 2023 के भर्ती नियम कहा जाएगा।
- 1.2. यह विनियम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पे-मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर:-

पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़े पे-मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची I में निहित संबंधित पदों में निर्दिष्ट होगा। ग्रुप 'बी' के रूप में पदों का वर्गीकरण केंद्र सरकार के वेतन स्तर में समान श्रेणियों के अनुरूप होगा।

## 3. भर्ती मानदंड:-

- 3.1 सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। संबंधित पद के लिए आवश्यक आरआईपीएएनएस के संबंध में गैर संकाय के हित के संबंधित क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता के लिए निर्दिष्ट अनुशासन, पदों के विज्ञापित होने से पहले अनुसूची में दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और नियामक निकायों की शैक्षिक योग्यताए यथास्थितिए केवल स्वीकार किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति मेंए नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 3.2 सभी पदों के लिए आवश्यक अनुभव अनुसूची I में निर्दिष्ट अनुसार होगा। पद के लिए अपेक्षित अनुभव निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- 3.3 भर्ती अनुसूची । में निर्धारित अनुसार की जाएगी। जब भी पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो पदों का विज्ञापन आरआईपीएएनएस की वेबसाइट और समाचार पत्रों में ऐसे उचित तरीकों से किया जाएगा जो संस्थान प्राधिकरण उचित समझे। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, निदेशक एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थियों का चयन करेगी।
- 3.4 सीधी भर्ती के मामले में, पद के लिए नौकरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के लिए विशिष्ट अंक देकर चयन पारदर्शी होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति सभी पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, जैसा आवश्यक हो, आयोजित करेगी।
- 3.5 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध पर भरा जा सकता है।

# 4. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा:-

- 4.1 प्रत्येक श्रेणी के पद में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों आदि के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार छूट दी जाएगी।
  - जब तक भर्ती नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, केंद्र/राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकारों के स्वायत्त संस्थानों में सेवारत कर्मियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट की अनुमति होगी।
- 4.2 आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

#### भर्ती की विधि:

- 5.1 उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
- 5.2 सीधी भर्ती के मामले में, चयनित अभ्यर्थी, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रारंभ में अनुसूची I में निर्दिष्ट न्यूनतम अविध के लिए परिवीक्षा पर होंगे। परिवीक्षा अविध के अंत में, अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन संस्थान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि परिवीक्षा अविध के दौरान अभ्यर्थी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है या अन्यथा। यदि उसका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा अविध पूर्ण होने पर उसकी नियमित नियुक्ति की पुष्टि की जायेगी।
- 5.3 अनुसूची । में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के अधीन, अन्य केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अविध तीन वर्ष की अविध के लिए होगी जिसे निदेशक द्वारा ऋण देने वाले विभाग की सहमति से सेवा की अत्यावश्यकता में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

### 6. अयोग्यता:

कोई भी व्यक्ति :

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है. या
- (ख) जिसने अपने पित या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;

बशर्ते कि आरआईपीएएनएसए यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैंए तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

#### 7. व्याख्या:-

जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता हैए मामला नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

## 8. छूट देने की शक्ति :-

जहां आरआईपीएएनएस की विधिवत गठित चयन समिति की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैए यह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से हो सकता है, अनुसूची I में उल्लिखित किसी भी वर्ग या श्रेणी के पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दें। यह नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा।

## 9. व्यावृत्ति : -

इन नियमों में कुछ भी आरक्षणए आयु सीमा में छूट और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजातिए अन्य पिछड़ा वर्गए भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा। पहले भरे गए पद इन भर्ती नियमों से प्रभावित नहीं होंगेए जिन्हें अभी अधिसूचित किया जा रहा है। विभिन्न पदों से संबंधित नौकरी का विवरण आरआईपीएएनएस द्वारा कार्यालय आदेश के रूप में अलग से जारी किया जाएगा।

# सहायक प्रशासनिक अधिकारी हेतु भर्ती नियमए आरआईपीएएनएसए आइज़ोल

	<u>सहायक प्रशासानक आधकारा हुतु भता ानयमए आरआइपाएएनएसए आइज़ाल</u>		
1	पद का नाम	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	
2	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	
3	वर्गीकरण	ग्रुप 'बी'	
4	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 7	
5	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन	
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं	
7	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य	लागू नहीं	
	योग्यताएं।		
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और	लागू नहीं	
	शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू		
	होगी।		
9	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।	लागू नहीं	
10	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या	पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी)	
	प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और		
	विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का		
	प्रतिशत।		
11	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के	पदोन्नति: वेतन् मैट्रिक्स के स्तूर - 6 में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा के	
	मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया	साथ संस्थान के कार्यालय अधीक्षक।	
	जाना है।	प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त	
		संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय /	
		मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:	
		1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या	
		2. मेडिकल संस्थान/कॉलेज से संबंधित केंद्र सरकार के नियमों के अच्छे	
		ज्ञान के साथ मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 06 या समकक्ष में	
		नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा।	
		टिप्पणी:	
		प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं	
		होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु	
		सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
12	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/समिति/चयन	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12	याद काइ विभागाय पदान्नात/सामात/चयन समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	1. निदेशक, आरआईपीएएनएस – अध्यक्ष	
	तानात माणूद हता उसका सरचना क्या ह?	2. निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य	
		लाभार्थी राज्यों से स्वास्थ्य सेवाएं जो उप निदेशक के पद से नीचे न हों	

		(रोटेशन द्वारा)।
		3. संयुक्त प्रतिनिधि. सचिव सदस्य
		(एनई) एमएच एंड एफडब्ल्यू भारत सरकार अवर सचिव के पद से निम्न नहीं
		4. संबंधित विषय में एक सहयोजित विशेषज्ञ - *सदस्य
		5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक
		सहयोजित सदस्य – सदस्य*
		6. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य सचिव
		आरआईपीएएनएस
		(*निदेशक, आरआईपीएएनएस द्वारा नामित किया जाना है)
13	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा	लागू नहीं
	आयोग से परामर्श किया जाना है।	

डा संजय दीनकर सावंत. निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./616/2023-24]

#### **NOTIFICATION**

Aizawl, the 3rd November, 2023

No. A.12018/2/2023-Estt/RIPANS/)193 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and as approved by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India vide Letter F.No.U.12012/57/2022-NE -Part (7) dated 03.10.2023, the President hereby makes the following amendment of the method of recruitment of the post of Assistant Administrative Officer in Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, an Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, namely:-

#### 1. Short Title and commencement: -

- 1.1. These rules may be called the Recruitment Rules of Group 'B' Non Faculty Post (Assistant Administrative Officer), Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, 2023.
- 1.2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

## 2. The number of posts, classification and level in the Pay Matrix: -

The number of the said posts, their classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Schedule I. The classification of posts as Group 'B' will correspond to similar categories in the Pay Level of Central Government.

#### 3. Recruitment Norms: -

- 3.1 The minimum educational qualification for all the posts shall be as specified in Schedule I. The specified discipline for educational qualification in related areas of interest of the faculty in respect of RIPANS, required for the post concerned, will be as given in Schedule I, before the posts are advertised. Educational qualifications of recognized University and regulating Statutory Bodies, as the case may be, will only be accepted. In case of any doubt regarding educational qualification, the decision of Appointing Authority will be final and binding.
- 3.2 The experience required for all the posts shall as specified in Schedule I. The crucial date for determining the experience required for the post shall be the closing date for receipt of application from candidates.
- 3.3 Recruitment shall be made by promotion/deputation/direct recruitment as the case may be, as prescribed in Schedule I. Whenever the posts are to be filled up by deputation/direct recruitment, the posts shall be advertised in the website of RIPANS and newspapers by such appropriate methods as the Institute authority deems fit. In case of receipt of large number of applications, the Director may constitute a Screening Committee, which will short-list the candidates.
- 3.4 In case of direct recruitment, the selection shall be transparent by giving specific marks for various parameters decided by the Selection Committee, keeping in view the job requirement for the post. The Selection Committee as constituted by competent authority will hold interviews of the all-eligible candidates, as may be required.
- 3.5 Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances, for duration of one year or more, can be filled on deputation/short term contract.

#### 4. Age limit for direct recruitments: -

4.1 The upper age limit for direct recruitment in each category of post shall be as specified in Schedule I. The upper age limit in respect of Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and the other special categories of persons etc, shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Unless otherwise specified in the Recruitment Rules, age relaxation of 5 years will be allowed for personnel serving in Central/State Government and Autonomous Institutions of Central & State Governments.

4.2 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates.

#### 5. Method of Recruitment:

- 5.1 The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in column 5 to 13 of the said schedule.
- 5.2 In case of direct recruitment, the selected candidates, from the date of assuming the duties will be on probation initially for a minimum period as specified in Schedule I. At the end of probation period, the candidate's performance will be assessed by the Institute authority to decide if the candidate's performance during the probation period has been satisfactory or otherwise. If his/her performance is found to be satisfactory, he/she will be confirmed for regular appointment on completion of probation.
- 5.3 Subject to the candidate having minimum qualification and experience as specified in Schedule I, candidates from other Central Government/State Government can be taken on deputation basis. The period of deputation shall be for a period of three years which may be extended by the Director up to five years in the exigencies of service taking the consent of the lending department.

#### 6. Disqualification: -

No person:

- (c) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (d) Who having a spouse living, has entered in or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that RIPANS may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

#### 7. Interpretation: -

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to Appointing Authority whose decision shall be final.

#### 8. Power to relax: -

Where the duly constituted Selection Committee of RIPANS is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts mentioned in Schedule I. This will be subject to acceptance of the Appointing Authority.

#### 9. Saving: -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. The posts filled earlier will not be affected by these Recruitment Rules, which are being notified now. The job descriptions pertaining to various posts would be issued separately by RIPANS as an Office Order.

#### Recruitment Rules for Assistant Administrative Officer in RIPANS, Aizawl

1	Name of Post	Assistant Administrative Officer
2	Number of post	01* (2023)* Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Group 'B'
4	Level in the Pay Matrix	Level - 7 of Pay Matrix
5	Whether Selection post or non selection post.	Selection in case of promotion
6	Age limit for direct recruits	Not applicable

7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Not applicable
9	Period of probation, if any	Not applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Promotion failing which by Deputation (ISTC)
11	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which	<b>Promotion:</b> Office Superintendent of the Institute with 5 (five) years regular service in Level - 6 of Pay Matrix.
	promotion/deputation/absorption to be made	Deputation: Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/ Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research institution:
		1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or
		2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 06 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department with good knowledge of Central Govt. rules related to medical institute/college
		Note:
		The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.
12	If a Departmental Promotion/	1. Director, RIPANS - Chairman
	Committee/Selection Committee exists what is its composition	2. Representative of Director - Member
	what is its composition	of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation).
		3. Representative of Jt. Secy Member
		(NE) MH&FW Govt. of India not below the rank of Under Secy.
		4. One co-opted expert - *Member
		in the subject concerned
		5. One co-opted member - *Member
		Representing SC/ST
		6. Administrative Officer - Member Secretary
		RIPANS
		(*To be nominated by Director, RIPANS)
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable

# अधिसूचना

## आइज़ोल, 3 नवम्बर, 2023

क्रमांक A.12018/2/2023-Estt/RIPANS/194.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या यू.12012/57/2022-एनई-पार्ट(7) दिनांक 03.10.2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइजोल में कार्यालय अधीक्षक के पद की भर्ती की विधि में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्-

## 1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन :-

- 1.1. इन विनियमों को ग्रुप 'बी' गैर संकाय पद (कार्यालय अधीक्षक), रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल, मिजोरम, 2023 के भर्ती नियम कहा जाएगा।
- 1.2. यह विनियम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पे-मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर:-

पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़े पे-मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची l में निहित संबंधित पदों में निर्दिष्ट होगा। ग्रुप 'बी' के रूप में पदों का वर्गीकरण केंद्र सरकार के वेतन स्तर में समान श्रेणियों के अनुरूप होगा।

## 3. भर्ती मानदंड:-

- 3.1 सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। संबंधित पद के लिए आवश्यक आरआईपीएएनएस के संबंध में गैर संकाय के हित के संबंधित क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता के लिए निर्दिष्ट अनुशासन, पदों के विज्ञापित होने से पहले अनुसूची I में दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और नियामक निकायों की शैक्षिक योग्यता, यथास्थिति, केवल स्वीकार किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 3.2 सभी पदों के लिए आवश्यक अनुभव अनुसूची I में निर्दिष्ट अनुसार होगा। पद के लिए अपेक्षित अनुभव निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- 3.3 भर्ती अनुसूची I में निर्धारित अनुसार की जाएगी। जब भी पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो पदों का विज्ञापन आरआईपीएएनएस की वेबसाइट और समाचार पत्रों में ऐसे उचित तरीकों से किया जाएगा जो संस्थान प्राधिकरण उचित समझे। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, निदेशक एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थियों का चयन करेगी।
- 3.4 सीधी भर्ती के मामले में, पद के लिए नौकरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के लिए विशिष्ट अंक देकर चयन पारदर्शी होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति सभी पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, जैसा आवश्यक हो, आयोजित करेगी।
- 3.5 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध पर भरा जा सकता है।

## 4. सीधी भर्ती हेत् आयु सीमा:-

- 4.1 प्रत्येक श्रेणी के पद में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों आदि के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार छूट दी जाएगी।
  - जब तक भर्ती नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, केंद्र/राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकारों के स्वायत्त संस्थानों में सेवारत कर्मियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट की अनुमति होगी।
- 4.2 आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

## 5. भर्ती की विधि:

- 5.1 उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
- 5.2 सीधी भर्ती के मामले में, चयनित अभ्यर्थी, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रारंभ में अनुसूची l में निर्दिष्ट न्यूनतम अविध के लिए परिवीक्षा पर होंगे। परिवीक्षा अविध के अंत में, अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन संस्थान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा

ताकि यह तय किया जा सके कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है या अन्यथा। यदि उसका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर उसकी नियमित नियक्ति की पृष्टि की जायेगी।

5.3 अनुसूची I में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के अधीन, अन्य केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अविध तीन वर्ष की अविध के लिए होगी जिसे निदेशक द्वारा ऋण देने वाले विभाग की सहमति से सेवा की अत्यावश्यकता में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

## 6. अयोग्यता:-

कोई भी व्यक्ति :

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या
- (ख) जिसने अपने पित या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियक्ति के लिए अपात्र होगा;

बशर्ते कि आरआईपीएएनएस, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

## व्याख्या:-

जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, मामला नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

## 8. छूट देने की शक्ति :-

जहां आरआईपीएएनएस की विधिवत गठित चयन समिति की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से हो सकता है, अनुसूची I में उल्लिखित किसी भी वर्ग या श्रेणी के पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दें। यह नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा।

## 9. व्यावृत्ति : -

इन नियमों में कुछ भी आरक्षण, आयु सीमा में छूट और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा। पहले भरे गए पद इन भर्ती नियमों से प्रभावित नहीं होंगे, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जा रहा है। विभिन्न पदों से संबंधित नौकरी का विवरण आरआईपीएएनएस द्वारा कार्यालय आदेश के रूप में अलग से जारी किया जाएगा।

## कार्यालय अधीक्षक हेत् भर्ती नियम, आरआईपीएएनएस, आइज़ोल

1	पद का नाम	कार्यालय अधीक्षक
2	पदों की संख्या	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3	वर्गीकरण	ग्रुप 'बी'
4	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 6
5	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य	आवश्यक:
	योग्यताएं।	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक
		2. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के तहत नियमित आधार पर पे मैट्रिक के लेवल-4 में अपर डिवीजन क्लर्क या समकक्ष के रूप में 10 साल का अनुभव या समकक्ष। वांछित:  कंप्यूटर एप्लीकेशन में दक्षता होना।

:	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 (दो) वर्ष
1	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) और असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा
;	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया	पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 4 में 10 साल की नियमित सेवा के साथ संस्थान के यूडीसी से।
	जाना है।	प्रितिनेयुक्ति: केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:
		अ.
		1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या
		2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा के साथ और
		आ.
		कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उचित योग्यता और अनुभव होना।
		टिप्पणी:
		प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/समिति/चयन	1. निदेशक, आरआईपीएएनएस – अध्यक्ष
;	समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	2. निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य
		लाभार्थी राज्यों से स्वास्थ्य सेवाएं जो उप निदेशक के पद से नीचे न हों (रोटेशन द्वारा)।
		3. संयुक्त प्रतिनिधि. सचिव सदस्य
		(एनई) एमएच एंड एफडब्ल्यू भारत सरकार अवर सचिव के पद से निम्न नहीं
		4. संबंधित विषय में एक सहयोजित विशेषज्ञ - *सदस्य
		5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य*
		6. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य सचिव
		आरआईपीएएनएस
		(*निदेशक, आरआईपीएएनएस द्वारा नामित किया जाना है)
	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

## **NOTIFICATION**

Aizawl, the 3rd November, 2023

No. A.12018/2/2023-Estt/RIPANS/)194 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and as approved by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India vide Letter F.No.U.12012/57/2022-NE -Part (7) dated 03.10.2023, the President hereby makes the following amendment of the method of recruitment of the post of Office Superintendent in Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, an Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, namely:-

#### 1. Short Title and commencement: -

- 1.1. These rules may be called the Recruitment Rules of Group 'B' Non Faculty Post (Office Superintendent), Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, 2023.
- 1.2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

### 2. The number of posts, classification and level in the Pay Matrix: -

The number of the said posts, their classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Schedule I. The classification of posts as Group 'B' will correspond to similar categories in the Pay Level of Central Government.

#### 3. Recruitment Norms: -

- 3.1 The minimum educational qualification for all the posts shall be as specified in Schedule I. The specified discipline for educational qualification in related areas of interest of the faculty in respect of RIPANS, required for the post concerned, will be as given in Schedule I, before the posts are advertised. Educational qualifications of recognized University and regulating Statutory Bodies, as the case may be, will only be accepted. In case of any doubt regarding educational qualification, the decision of Appointing Authority will be final and binding.
- 3.2 The experience required for all the posts shall as specified in Schedule I. The crucial date for determining the experience required for the post shall be the closing date for receipt of application from candidates.
- 3.3 Recruitment shall be made by promotion/deputation/direct recruitment as the case may be, as prescribed in Schedule I. Whenever the posts are to be filled up by deputation/direct recruitment, the posts shall be advertised in the website of RIPANS and newspapers by such appropriate methods as the Institute authority deems fit. In case of receipt of large number of applications, the Director may constitute a Screening Committee, which will short-list the candidates.
- 3.4 In case of direct recruitment, the selection shall be transparent by giving specific marks for various parameters decided by the Selection Committee, keeping in view the job requirement for the post. The Selection Committee as constituted by competent authority will hold interviews of the all-eligible candidates, as may be required.
- 3.5 Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances, for duration of one year or more, can be filled on deputation/short term contract.

#### 4. Age limit for direct recruitments: -

- 4.1 The upper age limit for direct recruitment in each category of post shall be as specified in Schedule I. The upper age limit in respect of Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and the other special categories of persons etc, shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.
  - Unless otherwise specified in the Recruitment Rules, age relaxation of 5 years will be allowed for personnel serving in Central/State Government and Autonomous Institutions of Central & State Governments.
- 4.2 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates.

## 5. Method of Recruitment:

- 5.1 The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in column 5 to 13 of the said schedule.
- 5.2 In case of direct recruitment, the selected candidates, from the date of assuming the duties will be on probation initially for a minimum period as specified in Schedule I. At the end of probation period, the candidate's performance will be assessed by the Institute authority to decide if the candidate's performance during the probation period has been satisfactory or otherwise. If his/her performance is found to be satisfactory, he/she will be confirmed for regular appointment on completion of probation.

5.3 Subject to the candidate having minimum qualification and experience as specified in Schedule I, candidates from other Central Government/State Government can be taken on deputation basis. The period of deputation shall be for a period of three years which may be extended by the Director up to five years in the exigencies of service taking the consent of the lending department.

#### 6. Disqualification: -

No person:

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who having a spouse living, has entered in or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that RIPANS may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

## 7. Interpretation: -

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to Appointing Authority whose decision shall be final.

#### 8. Power to relax: -

Where the duly constituted Selection Committee of RIPANS is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts mentioned in Schedule I. This will be subject to acceptance of the Appointing Authority.

#### 9. Saving: -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. The posts filled earlier will not be affected by these Recruitment Rules, which are being notified now. The job descriptions pertaining to various posts would be issued separately by RIPANS as an Office Order.

#### Recruitment Rules for Office Superintendent in RIPANS, Aizawl

1	Name of Post	Office Superintendent
2	Number of post	02* (2023)* Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Group 'B'
4	Level in the Pay Matrix	Level - 6 of Pay Matrix
5	Whether Selection post or non selection	Not applicable
	post.	
6	Age limit for direct recruits	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants' up
		to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by
		the Central Government)
7	Educational and other qualifications	Essential:
	required for direct recruits	i. Graduate from a recognized University/Institute
		ii. With 10 years' experience as Upper Division Clerk or
		equivalent under Central Govt/State Govt/Union Territories/
		Autonomous Organizations/Statutory Bodies/Public Sector
		Undertaking/University/Recognized Research Institute on
		regular basis in level-4 of the Pay Matric or equivalent.
		Desirable :
		Having proficiency in Computer application.
8	Whether age and educational qualifications	Not applicable
	prescribed for direct recruits will apply in	
	case of promotees.	
9	Period of probation, if any	2 (two) years for direct recruits and promotees
10	Method of recruitment whether by direct	By Promotion failing which Deputation (ISTC) failing both by
	recruitment or by promotion or by	Direct Recruitment
	deputation/absorption and percentage of	
	vacancies to be filled by various methods	

11	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Promotion: From UDC of the Institute with 10 years regular service in Level - 4 of Pay Matrix.  Deputation: Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/ Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research institution:  A.  1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or 2. with 10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level - 4 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department and B Possessing appropriate qualifications and experience prescribed for direct recruits mentioned at column 7.  Note: The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.
12	If a Departmental Promotion/ Committee/Selection Committee exists what is its composition	1. Director, RIPANS - Chairman  2. Representative of Director - Member of Health Services from beneficiary States not below the rank of Dy. Director (by Rotation).  3. Representative of Jt. Secy Member (NE) MH&FW Govt. of India not below the rank of Under Secy.  4. One co-opted expert - *Member in the subject concerned  5. One co-opted member - *Member Representing SC/ST  6. Administrative Officer - Member Secretary RIPANS (*To be nominated by Director, RIPANS)
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable

Dr. SANJAY DINKAR SAWANT, Director [ADVT.-III/4/Exty./616/2023-24]

## अधिसूचना

आइज़ोल, 3 नवम्बर, 2023

क्रमांक A.12018/2/2023-Estt/RIPANS/195.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या यू.12012/57/2022-एनई-पार्ट(7) दिनांक 03.10.2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइजोल में उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी) के पद की भर्ती की विधि में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्-

## 1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन :-

- 1.1. इन विनियमों को ग्रुप 'सी' गैर संकाय पद (उच्च श्रेणी लिपिक/यूडीसी), रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल, मिजोरम, 2023 के भर्ती नियम कहा जाएगा।
- 1.2. यह विनियम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

# 2. पे-मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर:-

पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़े पे-मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची I में निहित संबंधित पदों में निर्दिष्ट होगा। ग्रुप 'सी' के रूप में पदों का वर्गीकरण केंद्र सरकार के वेतन स्तर में समान श्रेणियों के अनुरूप होगा।

## 3. भर्ती मानदंड:-

- 3.1 सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। संबंधित पद के लिए आवश्यक आरआईपीएएनएस के संबंध में गैर संकाय के हित के संबंधित क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता के लिए निर्दिष्ट अनुशासन, पदों के विज्ञापित होने से पहले अनुसूची I में दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और नियामक निकायों की शैक्षिक योग्यता, यथास्थिति, केवल स्वीकार किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 3.2 सभी पदों के लिए आवश्यक अनुभव अनुसूची I में निर्दिष्ट अनुसार होगा। पद के लिए अपेक्षित अनुभव निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- 3.3 भर्ती अनुसूची I में निर्धारित अनुसार की जाएगी। जब भी पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो पदों का विज्ञापन आरआईपीएएनएस की वेबसाइट और समाचार पत्रों में ऐसे उचित तरीकों से किया जाएगा जो संस्थान प्राधिकरण उचित समझे। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, निदेशक एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थियों का चयन करेगी।
- 3.4 सीधी भर्ती के मामले में, पद के लिए नौकरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के लिए विशिष्ट अंक देकर चयन पारदर्शी होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति सभी पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, जैसा आवश्यक हो, आयोजित करेगी।
- 3.5 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को प्रतिनियक्ति/अल्पकालिक अनुबंध पर भरा जा सकता है।

## 4. सीधी भर्ती हेत् आयु सीमा:-

- 4.1 प्रत्येक श्रेणी के पद में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों आदि के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार छूट दी जाएगी।
  - जब तक भर्ती नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, केंद्र/राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकारों के स्वायत्त संस्थानों में सेवारत कर्मियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट की अनुमति होगी।
- 4.2 आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

#### 5. भर्ती की विधि:

- 5.1 उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
- 5.2 सीधी भर्ती के मामले में, चयनित अभ्यर्थी, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रारंभ में अनुसूची l में निर्दिष्ट न्यूनतम अविध के लिए परिवीक्षा पर होंगे। परिवीक्षा अविध के अंत में, अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन संस्थान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि परिवीक्षा अविध के दौरान अभ्यर्थी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है या अन्यथा। यदि उसका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा अविध पूर्ण होने पर उसकी नियमित नियुक्ति की पृष्टि की जायेगी।

5.3 अनुसूची । में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के अधीन, अन्य केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अविध तीन वर्ष की अविध के लिए होगी जिसे निदेशक द्वारा ऋण देने वाले विभाग की सहमति से सेवा की अत्यावश्यकता में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

## 6. अयोग्यता:-

कोई भी व्यक्ति :

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या
- (ख) जिसने अपने पित या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;

बशर्ते कि आरआईपीएएनएस, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

#### 7. व्याख्या:-

जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, मामला नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

## 8. छूट देने की शक्ति :-

जहां आरआईपीएएनएस की विधिवत गठित चयन समिति की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से हो सकता है, अनुसूची I में उल्लिखित किसी भी वर्ग या श्रेणी के पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दें। यह नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा।

# 9. व्यावृत्ति : -

इन नियमों में कुछ भी आरक्षण, आयु सीमा में छूट और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा। पहले भरे गए पद इन भर्ती नियमों से प्रभावित नहीं होंगे, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जा रहा है। विभिन्न पदों से संबंधित नौकरी का विवरण आरआईपीएएनएस द्वारा कार्यालय आदेश के रूप में अलग से जारी किया जाएगा।

## उच्च श्रेणी लिपिक (युडीसी) हेत् भर्ती नियम, आरआईपीएएनएस, आइज़ोल

1	पद का नाम	उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी)	
2	पदों की संख्या	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	
3	वर्गीकरण	ग्रुप 'सी'	
4	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 4	
5	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में गैर चयन	
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)	
7	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	आवश्यक:  1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक  2. कम्प्यूटर एप्लीकेशन में दक्षता होना  3. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड।	

	( <b>एनबी</b> : 35 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5		
		अवसादों में 10,500 केडीपीएच के अनुरूप है)।	
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं	
9	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष	
10	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) और असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा	
11	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया	पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 4 में 8 साल की नियमित सेवा वाले संस्थान के एलडीसी से।	
	जाना है।	प्रतिनियुक्तिः केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारीः	
		अ.	
		1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या	
		2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 2 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 8 साल की सेवा के साथ या	
		आ.	
		कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उचित योग्यता और अनुभव होना।	
		टिप्पणी:	
		केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
12	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/समिति/चयन	1. निदेशक, आरआईपीएएनएस – अध्यक्ष	
	समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	2. निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य	
		लाभार्थी राज्यों से स्वास्थ्य सेवाएं जो उप निदेशक के पद से नीचे न हों (रोटेशन द्वारा)।	
		3. संयुक्त प्रतिनिधि. सचिव सदस्य	
		(एनई) एमएच एंड एफडब्ल्यू भारत सरकार अवर सचिव के पद से निम्न नहीं	
		4. संबंधित विषय में एक सहयोजित विशेषज्ञ - *सदस्य	
		5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य*	
		ति. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य सचिव	

		आरआईपीएएनएस
		(*िनदेशक, आरआईपीएएनएस द्वारा नामित किया जाना है)
13	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

डॉ. संजय दीनकर सावंत, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./616/2023-24]

#### **NOTIFICATION**

Aizawl, the 3rd November, 2023

No. A.12018/2/2023-Estt/RIPANS/)195 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and as approved by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India vide Letter F.No.U.12012/57/2022-NE -Part (7) dated 03.10.2023, the President hereby makes the following amendment of the method of recruitment of the post of Upper Division clerk (UDC) in Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, an Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, namely:-

#### 1. Short Title and commencement: -

- 4.1 These rules may be called the Recruitment Rules of Group 'C' Non Faculty Post (Upper Division Clerk), Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, 2023.
- 4.2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

## 2. The number of posts, classification and level in the Pay Matrix: -

The number of the said posts, their classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Schedule I. The classification of posts as Group 'C' will correspond to similar categories in the Pay Level of Central Government.

### 3. Recruitment Norms: -

- 3.1 The minimum educational qualification for all the posts shall be as specified in Schedule I. The specified discipline for educational qualification in related areas of interest of the faculty in respect of RIPANS, required for the post concerned, will be as given in Schedule I, before the posts are advertised. Educational qualifications of recognized University and regulating Statutory Bodies, as the case may be, will only be accepted. In case of any doubt regarding educational qualification, the decision of Appointing Authority will be final and binding.
- 3.2 The experience required for all the posts shall as specified in Schedule I. The crucial date for determining the experience required for the post shall be the closing date for receipt of application from candidates.
- 3.3 Recruitment shall be made by promotion/deputation/direct recruitment as the case may be, as prescribed in Schedule I. Whenever the posts are to be filled up by deputation/direct recruitment, the posts shall be advertised in the website of RIPANS and newspapers by such appropriate methods as the Institute authority deems fit. In case of receipt of large number of applications, the Director may constitute a Screening Committee, which will short-list the candidates.
- 3.4 In case of direct recruitment, the selection shall be transparent by giving specific marks for various parameters decided by the Selection Committee, keeping in view the job requirement for the post. The Selection Committee as constituted by competent authority will hold interviews of the all-eligible candidates, as may be required.
- 3.5 Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances, for duration of one year or more, can be filled on deputation/short term contract.

#### 4. Age limit for direct recruitments: -

4.1 The upper age limit for direct recruitment in each category of post shall be as specified in Schedule I. The upper age limit in respect of Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and the other special categories of persons etc, shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Unless otherwise specified in the Recruitment Rules, age relaxation of 5 years will be allowed for personnel serving in Central/State Government and Autonomous Institutions of Central & State Governments.

4.2 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates.

#### 5. Method of Recruitment:

- 5.1 The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in column 5 to 13 of the said schedule.
- 5.2 In case of direct recruitment, the selected candidates, from the date of assuming the duties will be on probation initially for a minimum period as specified in Schedule I. At the end of probation period, the candidate's performance will be assessed by the Institute authority to decide if the candidate's performance during the probation period has been satisfactory or otherwise. If his/her performance is found to be satisfactory, he/she will be confirmed for regular appointment on completion of probation.
- 5.3 Subject to the candidate having minimum qualification and experience as specified in Schedule I, candidates from other Central Government/State Government can be taken on deputation basis. The period of deputation shall be for a period of three years which may be extended by the Director up to five years in the exigencies of service taking the consent of the lending department.

### 6. Disqualification: -

No person:

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who having a spouse living, has entered in or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that RIPANS may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

## 7. Interpretation: -

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to Appointing Authority whose decision shall be final.

#### 8. Power to relax: -

Where the duly constituted Selection Committee of RIPANS is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts mentioned in Schedule I. This will be subject to acceptance of the Appointing Authority.

## 9. Saving: -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. The posts filled earlier will not be affected by these Recruitment Rules, which are being notified now. The job descriptions pertaining to various posts would be issued separately by RIPANS as an Office Order.

## Recruitment Rules for Upper Division Clerk (UDC) in RIPANS, Aizawl

1	Name of Post	Upper Division Clerk (UDC)	
2	Number of post	02* (2023)* Subject to variation dependent on workload	
3	Classification	Group 'C'	
4	Level in the Pay Matrix	Level - 4 of Pay Matrix	
5	Whether Selection post or non selection	Non-Selection in case of Promotion	
	post.		
6	Age limit for direct recruits	Between 18 years and 27 years (Relaxable for Government	
		servants upto 5 years in accordance with the instructions or	
		orders issued by the Central Government)	
7	Educational and other qualifications	Essential:	
	required for direct recruits	i. Graduate from a recognized University/Institute	
		ii. Having proficiency in computer application	
		iii. A typing speed of 35 words per minute in English on	
		computer.	

		(NB: 35 wpm correspond to 10,500 KDPH in an average of 5	
		key depressions for each word).	
8	Whether age and educational qualifications	Not applicable	
	prescribed for direct recruits will apply in		
	case of promotees.		
9	Period of probation, if any	2 (two) years for direct recruits	
10	Method of recruitment whether by direct	By Promotion failing which Deputation (ISTC) failing both by	
	recruitment or by promotion or by	Direct Recruitment	
	deputation/absorption and percentage of		
	vacancies to be filled by various methods		
11	In case of recruitment by	Promotion: From LDC of the Institute with 8 years regular	
	promotion/deputation/absorption, grades	service in Level - 4 of Pay Matrix.	
	from which	<b>Deputation:</b> Officers of the Central Government/ State	
	promotion/deputation/absorption to be	Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/	
	made	Statutory bodies/ Public Sector Undertaking/ University/	
		Recognized Research institution:	
		<b>A.</b>	
		1. Holding analogous post on a regular basis in the parent	
		cadre/department; or	
		2. with $\hat{8}$ years' service in the grade rendered after appointment	
		on a regular basis in Level – 2 of the Pay Matrix or equivalent in	
		the parent cadre/department or	
		В.	
		Possessing appropriate qualifications and experience prescribed	
		for direct recruits mentioned at column 7.	
		Note:	
		Period of deputation including period of deputation in another	
		ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the	
		same or some other organization/Department of the Central	
		Government shall ordinarily not exceed five years. The	
		maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall	
		not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of	
		application.	
12	If a Departmental Promotion/	1. Director, RIPANS - Chairman	
	Committee/Selection Committee exists	2. Representative of Director - Member	
	what is its composition	of Health Services from beneficiary States not below the rank of	
		Dy. Director (by Rotation).	
		3. Representative of Jt. Secy Member	
		(NE) MH&FW Govt. of India not below the rank of Under	
		Secy.	
		4. One co-opted expert - *Member	
		in the subject concerned	
		5. One co-opted member - *Member	
		Representing SC/ST	
		6. Administrative Officer - Member Secretary	
		RIPANS	
		(*To be nominated by Director, RIPANS)	
13	Circumstances in which Union Public	Not applicable	
	Service Commission to be consulted in		
	making recruitment		

Dr. SANJAY DINKAR SAWANT, Director [ADVT.-III/4/Exty./616/2023-24]

# अधिसूचना

आइज़ोल, 3 नवम्बर, 2023

क्रमांक A.12018/2/2023-Estt/RIPANS/196 .—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या यू.12012/57/2022-एनई-पार्ट(7) दिनांक 03.10.2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइजोल में अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) के पद की भर्ती की विधि में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात-

## 1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन :-

- 1.1. इन विनियमों को ग्रुप 'सी' गैर संकाय पद अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी), रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल, मिजोरम, 2023 के भर्ती नियम कहा जाएगा।
- 1.2. यह विनियम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

## 2. पे-मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर:-

पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़े पे-मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची I में निहित संबंधित पदों में निर्दिष्ट होगा। ग्रुप 'सी' के रूप में पदों का वर्गीकरण केंद्र सरकार के वेतन स्तर में समान श्रेणियों के अनुरूप होगा।

### 3. भर्ती मानदंड:-

- 3.1 सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। संबंधित पद के लिए आवश्यक आरआईपीएएनएस के संबंध में गैर संकाय के हित के संबंधित क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता के लिए निर्दिष्ट अनुशासन, पदों के विज्ञापित होने से पहले अनुसूची I में दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और नियामक निकायों की शैक्षिक योग्यता, यथास्थिति, केवल स्वीकार किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 3.2 सभी पदों के लिए आवश्यक अनुभव अनुसूची I में निर्दिष्ट अनुसार होगा। पद के लिए अपेक्षित अनुभव निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- 3.3 भर्ती अनुसूची I में निर्धारित अनुसार की जाएगी। जब भी पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो पदों का विज्ञापन आरआईपीएएनएस की वेबसाइट और समाचार पत्रों में ऐसे उचित तरीकों से किया जाएगा जो संस्थान प्राधिकरण उचित समझे। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, निदेशक एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थियों का चयन करेगी।
- 3.4 सीधी भर्ती के मामले में, पद के लिए नौकरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के लिए विशिष्ट अंक देकर चयन पारदर्शी होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति सभी पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, जैसा आवश्यक हो, आयोजित करेगी।
- 3.5 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध पर भरा जा सकता है।

## 4. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा:-

- 4.1 प्रत्येक श्रेणी के पद में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों आदि के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार छुट दी जाएगी।
  - जब तक भर्ती नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, केंद्र/राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकारों के स्वायत्त संस्थानों में सेवारत कर्मियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट की अनुमति होगी।
- 4.2 आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

### 5. भर्ती की विधि:

5.1 उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में निर्दिष्ट किए जाएंगे।

- 5.2 सीधी भर्ती के मामले में, चयनित अभ्यर्थी, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रारंभ में अनुसूची । में निर्दिष्ट न्यूनतम अविध के लिए परिवीक्षा पर होंगे। परिवीक्षा अविध के अंत में, अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन संस्थान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि परिवीक्षा अविध के दौरान अभ्यर्थी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है या अन्यथा। यदि उसका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा अविध पूर्ण होने पर उसकी नियमित नियुक्ति की पुष्टि की जायेगी।
- 5.3 अनुसूची । में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के अधीन, अन्य केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अविध तीन वर्ष की अविध के लिए होगी जिसे निदेशक द्वारा ऋण देने वाले विभाग की सहमति से सेवा की अत्यावश्यकता में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

## 6. अयोग्यता:-

कोई भी व्यक्ति :

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या
- (ख) जिसने अपने पित या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;

बशर्ते कि आरआईपीएएनएस, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

#### व्याख्या:-

जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, मामला नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

## 8. छुट देने की शक्ति :-

जहां आरआईपीएएनएस की विधिवत गठित चयन समिति की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से हो सकता है, अनुसूची I में उल्लिखित किसी भी वर्ग या श्रेणी के पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दें। यह नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा।

## 9. व्यावृत्ति : -

इन नियमों में कुछ भी आरक्षण, आयु सीमा में छूट और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा। पहले भरे गए पद इन भर्ती नियमों से प्रभावित नहीं होंगे, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जा रहा है। विभिन्न पदों से संबंधित नौकरी का विवरण आरआईपीएएनएस द्वारा कार्यालय आदेश के रूप में अलग से जारी किया जाएगा।

## अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) हेत् भर्ती नियम, आरआईपीएएनएस, आइज़ोल

1	पद का नाम	अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी)	
2	पदों की संख्या	03* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	
3	वर्गीकरण	ग्रुप 'सी'	
4	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 4	
5	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में गैर चयन	
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)	

7	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य	आवश्यक:	
	योग्यताएं।	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता	
		2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड।	
		( <b>एनबी</b> : 35 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक श अवसादों में 10,500 केडीपीएच के अनुरूप	,
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	जैसा कि कॉलम 10 में बताया गया है	
9	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष	
10	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या	2/3 सीधी भर्ती द्वारा	
	प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	रिक्ति का 1/3 भाग वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 1 में समूह 'सी' कर्मचारियों में से भरा जाएगा और जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता है और जिन्होंने विभागीय योग्यता के आधार पर ग्रेड में 3 साल की नियमित सेवा प्रदान की है। इंतिहान। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (एससी/एसटी के लिए 50 वर्ष) है।	
		योग्यता परीक्षा का विवरण:	
		जनरल इंटेलिजेंस	15 अंक
		संख्यात्मक योग्यता	15 अंक
		अंग्रेजी भाषा (बुनियादी ज्ञान)	35 अंक
		सामान्य जागरूकता	15 अंक
		कंप्यूटर एप्लीकेशन	20 अंक
		कुल	100 अंक
11	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के	100 अंकों में से, विचार के लिए कटऑफ अंक 35% है और 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्किल टेस्ट पास करना चाहिए, जो केवल क्वालीफाइंग प्रकृति का है। जैसा कि कॉलम 10 में बताया गया है	
	मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।		
12	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/समिति/चयन समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	1. निदेशक, आरआईपीएएनएस – अध्यक्ष	
	ताचात नाभूष हता अतथा तरवना क्या ह !	2. निदेशक का प्रतिनिधि - सदस्य	
		लाभार्थी राज्यों से स्वास्थ्य सेवाएं जो उप निदेशक के पद से नीचे न हों (रोटेशन द्वारा)।	
		3. संयुक्त प्रतिनिधि. सचिव सदस्य	
		(एनई) एमएच एंड एफडब्ल्यू भारत सरव नहीं	ार अवर सचिव के पद से निम्न 

		4. संबंधित विषय में एक सहयोजित विशेषज्ञ - *सदस्य
		च. तपावत विभव च एक तहुवाचित विस्तवस - तपरव
		5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक
		सहयोजित सदस्य – सदस्य*
		6. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य सचिव
		आरआईपीएएनएस
		(*निदेशक, आरआईपीएएनएस द्वारा नामित किया जाना है)
13	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

डॉ. संजय दीनकर सावंत. निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./616/2023-24]

#### NOTIFICATION

Aizawl, the 3rd November, 2023

No. A.12018/2/2023-Estt/RIPANS/)196.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and as approved by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India vide Letter F.No.U.12012/57/2022-NE -Part (7) dated 03.10.2023, the President hereby makes the following amendment of the method of recruitment of the post of Lower Division Clerk (LDC) in Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, an Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, namely:-

#### 1. Short Title and commencement: -

- 1.1. These rules may be called the Recruitment Rules of Group 'C' Non Faculty Post (Lower Division Clerk), Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, 2023.
- 1.2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. The number of posts, classification and level in the Pay Matrix: -

The number of the said posts, their classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Schedule I. The classification of posts as Group 'C' will correspond to similar categories in the Pay Level of Central Government.

## 3. Recruitment Norms: -

- 3.1 The minimum educational qualification for all the posts shall be as specified in Schedule I. The specified discipline for educational qualification in related areas of interest of the faculty in respect of RIPANS, required for the post concerned, will be as given in Schedule I, before the posts are advertised. Educational qualifications of recognized University and regulating Statutory Bodies, as the case may be, will only be accepted. In case of any doubt regarding educational qualification, the decision of Appointing Authority will be final and binding.
- 3.2 The experience required for all the posts shall as specified in Schedule I. The crucial date for determining the experience required for the post shall be the closing date for receipt of application from candidates.
- 3.3 Recruitment shall be made by promotion/deputation/direct recruitment as the case may be, as prescribed in Schedule I. Whenever the posts are to be filled up by deputation/direct recruitment, the posts shall be advertised in the website of RIPANS and newspapers by such appropriate methods as the Institute authority deems fit. In case of receipt of large number of applications, the Director may constitute a Screening Committee, which will short-list the candidates.
- 3.4 In case of direct recruitment, the selection shall be transparent by giving specific marks for various parameters decided by the Selection Committee, keeping in view the job requirement for the post. The Selection Committee as constituted by competent authority will hold interviews of the all-eligible candidates, as may be required.
- 3.5 Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances, for duration of one year or more, can be filled on deputation/short term contract.

#### 4. Age limit for direct recruitments: -

4.1 The upper age limit for direct recruitment in each category of post shall be as specified in Schedule I. The upper age limit in respect of Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and the other special categories of persons etc, shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Unless otherwise specified in the Recruitment Rules, age relaxation of 5 years will be allowed for personnel serving in Central/State Government and Autonomous Institutions of Central & State Governments.

4.2 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates.

#### 5. Method of Recruitment:

- 5.1 The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in column 5 to 13 of the said schedule.
- 5.2 In case of direct recruitment, the selected candidates, from the date of assuming the duties will be on probation initially for a minimum period as specified in Schedule I. At the end of probation period, the candidate's performance will be assessed by the Institute authority to decide if the candidate's performance during the probation period has been satisfactory or otherwise. If his/her performance is found to be satisfactory, he/she will be confirmed for regular appointment on completion of probation.
- 5.3 Subject to the candidate having minimum qualification and experience as specified in Schedule I, candidates from other Central Government/State Government can be taken on deputation basis. The period of deputation shall be for a period of three years which may be extended by the Director up to five years in the exigencies of service taking the consent of the lending department.

#### 6. Disqualification: -

No person:

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who having a spouse living, has entered in or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that RIPANS may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

## 7. Interpretation: -

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to Appointing Authority whose decision shall be final.

#### 8. Power to relax: -

Where the duly constituted Selection Committee of RIPANS is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of posts mentioned in Schedule I. This will be subject to acceptance of the Appointing Authority.

#### 9. Saving: -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. The posts filled earlier will not be affected by these Recruitment Rules, which are being notified now. The job descriptions pertaining to various posts would be issued separately by RIPANS as an Office Order.

#### Recruitment Rules for Lower Division Clerk (LDC) in RIPANS, Aizawl

1	Name of Post	Lower Division Clerk (LDC)	
2 Number of post 03* (2023)* Subject to variation dependent on workloa		03* (2023)* Subject to variation dependent on workload	
3 Classification Group 'C'		Group 'C'	

vacancies to be filled by various methods  staff in Level - 1 of Pay Matrix and who possess 12 <sup>th</sup> or equivalent qualification and have rendered 3 yea service in the grade, on the basis of departmental examination. <b>The maximum age limit for eligi</b>	zed Board	
servants upto 5 years in accordance with the instroorders issued by the Central Government)  Essential:  i. 12th Class or equivalent qualification from a recogn or University  ii. A typing speed of 35 words per minute in Ecomputer.  (NB: 35 wpm correspond to 10,500 KDPH in an average depressions for each word).  Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.  Period of probation, if any  Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods  As stated in Col 10  2 (two) years for direct recruits  2/3 by Direct Recruitment  1/3 of the vacancy shall be filled from amongst the staff in Level - 1 of Pay Matrix and who possess 12th or equivalent qualification and have rendered 3 years ervice in the grade, on the basis of departmental examination. The maximum age limit for eliging examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  Details of Qualifying exam:  General Intelligence   15 marks   Numeric Aptitude   15 marks   English Language (Basic   35 marks	zed Board	
i. 12th Class or equivalent qualification from a recogn or University ii. A typing speed of 35 words per minute in Ecomputer.  (NB: 35 wpm correspond to 10,500 KDPH in an average and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.  Period of probation, if any  Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods  2/3 by Direct Recruitment 1/3 of the vacancy shall be filled from amongst the staff in Level - 1 of Pay Matrix and who possess 12th or equivalent qualification and have rendered 3 yes service in the grade, on the basis of departmental examination. The maximum age limit for eliging examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  Details of Qualifying exam:  General Intelligence 15 marks  Numeric Aptitude 15 marks  English Language (Basic 35 marks)	nglish on	
1. 12 Class of equivalent qualification from a recogn or University  ii. A typing speed of 35 words per minute in Ecomputer.  (NB: 35 wpm correspond to 10,500 KDPH in an average and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.  9 Period of probation, if any  10 Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods  11 As stated in Col 10  2 (two) years for direct recruits  2 3 by Direct Recruitment  11/3 of the vacancy shall be filled from amongst the staff in Level - 1 of Pay Matrix and who possess 12th or equivalent qualification and have rendered 3 years equivalent qualification. The maximum age limit for eligities examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  11 Details of Qualifying exam:  12 General Intelligence   15 marks    13 marks    14 maximum age limit for eligities examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  15 marks    16 maximum age limit for eligities examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  17 marks    18 maximum age limit for eligities examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  18 maximum age limit for eligities examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  19 maximum age limit for eligities examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  19 maximum age limit for eligities examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).	nglish on	
computer.  (NB: 35 wpm correspond to 10,500 KDPH in an av key depressions for each word).  8 Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.  9 Period of probation, if any  10 Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods  1/3 of the vacancy shall be filled from amongst the staff in Level - 1 of Pay Matrix and who possess 12th or equivalent qualification and have rendered 3 yes service in the grade, on the basis of departmental examination. The maximum age limit for eligit examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  Details of Qualifying exam:  General Intelligence 15 marks  Numeric Aptitude 15 marks  English Language (Basic 35 marks)		
Rey depressions for each word).   Rey depressions for each word).	rage of 5	
prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.  9 Period of probation, if any  10 Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods  1/3 of the vacancy shall be filled from amongst the staff in Level - 1 of Pay Matrix and who possess 12th or equivalent qualification and have rendered 3 yes service in the grade, on the basis of departmental examination. The maximum age limit for eligit examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  Details of Qualifying exam:  General Intelligence 15 marks  Numeric Aptitude 15 marks  English Language (Basic 35 marks)		
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods  2/3 by Direct Recruitment  1/3 of the vacancy shall be filled from amongst the staff in Level - 1 of Pay Matrix and who possess 12 <sup>th</sup> or equivalent qualification and have rendered 3 yes service in the grade, on the basis of departmental examination. The maximum age limit for eligities examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  Details of Qualifying exam:  General Intelligence 15 marks  Numeric Aptitude 15 marks  English Language (Basic 35 marks)		
recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods  1/3 of the vacancy shall be filled from amongst the staff in Level - 1 of Pay Matrix and who possess 12 <sup>th</sup> or equivalent qualification and have rendered 3 yes service in the grade, on the basis of departmental examination. The maximum age limit for eligit examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  Details of Qualifying exam:  General Intelligence 15 marks  Numeric Aptitude 15 marks  English Language (Basic 35 marks)		
deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods  1/3 of the vacancy shall be filled from amongst the staff in Level - 1 of Pay Matrix and who possess 12 <sup>th</sup> or equivalent qualification and have rendered 3 years revice in the grade, on the basis of departmental examination. The maximum age limit for eligities examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).  Details of Qualifying exam:  General Intelligence 15 marks  Numeric Aptitude 15 marks  English Language (Basic 35 marks)		
General Intelligence 15 marks  Numeric Aptitude 15 marks  English Language (Basic 35 marks	1/3 of the vacancy shall be filled from amongst the Group 'C' staff in Level - 1 of Pay Matrix and who possess 12 <sup>th</sup> Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for SC/ST).	
Numeric Aptitude 15 marks  English Language (Basic 35 marks	Details of Qualifying exam:	
English Language (Basic 35 marks		
General Awareness 15 marks		
Computer Application 20 marks		
Total 100 marks		
	Out of 100 marks, the cutoff marks for consideration is 35% and should pass Typing Skill Test of 35 wpm, which is qualifying nature only.	
11 In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made  As stated in Col 10	As stated in Col 10	
12 If a Departmental Promotion/ 1. Director, RIPANS - Chairman		
Committee/Selection Committee exists what is its composition 2. Representative of Director - Member		
of Health Services from beneficiary States not below to Dy. Director (by Rotation).		
3. Representative of Jt. Secy Member	e rank of	
(NE) MH&FW Govt. of India not below the rank Secy.	e rank of	
4. One co-opted expert - *Member		

[भाग Ⅲ—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 31

		in the subject concerned	
		5. One co-opted member	- *Member
		Representing SC/ST	
		6. Administrative Officer	- Member Secretary
		RIPANS	
		(*To be nominated by Director, 2	RIPANS)
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable	

Dr. SANJAY DINKAR SAWANT, Director [ADVT.-III/4/Exty./616/2023-24]